निग.पंचा. मु.। 44 / 2017
RCMS 2017/00064

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्याः 44 / 2017 दिनांक 27.12.2019

विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणकरणसर जिला बीकानेर
निगरानीकर्ता

बनाम

1. विमलादेवी पत्नी पूर्णाराम महिया जाति महिया निवासी वार्ड नं. 29, कालबास तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर ,
2. ग्राम पंचायत लूणकरणसर जरिये सरपंच रफीक मालावत

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थितिः–
1– श्री संदीप स्वामी – अभिभाषक निगरानीकर्ता
2– अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित ।

आदेश

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा की जाकर प्रार्थी पक्ष की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

3. निगरानीकर्ता प्रार्थी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में लूणकरणसर में पट्टा, पट्टा संख्या 14, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 को जरिये संकल्प संख्या 3 दिनांक 06.02.2014 को कुल तादादी 300 वर्गमीटर का जारी किया गया। उक्त पट्टा, पट्टा बही संख्या 192 पर दर्ज है। तत्पश्चात् अनेक शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश संख्या सीबी–2015 / 7166–70 दिनांक 23.03.2015 के क्रम में ग्राम पंचायत लूणकरणसर के **तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा पट्टे बनाने में बरती गई अनियमितता की जांच हेतु एक जांच कमेटी गठित की गई जिस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गये पट्टों में अनेक अनियमिता पाये जाने पर पट्टो को निरस्त करने की अनुशंषा की गई है।** उक्त पट्टों में उक्त पट्टा संख्या 14 पट्टा बही संख्या 192 में पंचायत राज अधिनियम 1993 के नियम 157(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

विरूद्ध तरीके से जारीशुदा उक्त पट्टा संख्या 14, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 से व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो उक्त विधि विरूद्ध तरीके से जारीशुदा गलत होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत लूणकरणसर अप्रार्थी संख्या 2 ने सांठ–गांठ कर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 14, दिनांक 07.02.2014 को नियम 157(2) के तहत जारी कर नियमितीकरण कर दिया। जबकि नियम 157 (2) के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है तथा सन् 2003 से पूर्व कब्जा है एवं झुग्गी झोपड़ी कच्चे गृह निर्माण के तौर पर आबादी भूमि में काबिज है ऐसे परिवारों को अधिकतम 300 गज तक कब्जे का मुक्त विनियमितिकरण परिवार की महिला मुखिया को जारी किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रावधानों का परिपालन नहीं करते हुए नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया। इसके अतिरिक्त महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को बसाने हेतु आरक्षित भूमि जहां विकास योजना अनुमोदित परियोजना अनुसार ही भूखण्डों का आवंटन किये जाने के प्रावधान थे लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए ऐसी भूमि के पट्टे विनियमित कर दिये गये। उक्त पट्टा निर्माण भूमि(सफेद भूमि) पर अधिकतम क्षेत्रफल 300 गज से ज्यादा भूमि का महिला के नाम पट्टा आबादी भूमि के भूखण्ड को पंचायत राज नियम 142 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करते हुए पंचायत राज नियम 150 से 155 तक के नियमों में वर्णितानुसार विक्रय किया जाना था। लेकिन उक्त अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमों की अवहेलना कर पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में नियम विरूद्ध तरीके से फर्जी तरीके से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नियमों, उपनियमों का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध तरीके से जारी किया गया, जिसे निरस्त कराने का निगरानीकर्ता को अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर ने विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक पर रख कर उक्त पट्टा जारी किया गया है जो पट्टा पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध तरीके से नीलामी की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत में किसी प्रकार से कोई मीटिंग नहीं बुलाई ना ही किसी प्रकार का कोई कोरम ही पूरा था ना ही किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित हुआ। उक्त पट्टा नियम कायदों की खुली अवहेलना कर मनमाने ढंग से दिया गया नियमों के आज्ञापक प्रावधानों का पंचायती राज अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का, नियमों, उपनियमों, उपविधियों का उल्लंघन कर पट्टा अप्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी को उक्त पट्टा को जारी करने में बरती गई अनियमिता के बारे में जांच कमेटी द्वारा जांच करने के बाद प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट से जानकारी हुई। जिस पर निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात उक्त पट्टे की प्रमाणित

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

प्रति दिनांक 2.2.17 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति की दिनांक से निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारीशुदा पट्टा संख्या 14, पट्टा बही संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व इस मामले से संबंधित मूल रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 को पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत 25 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुवे विनिमितीकरण कर पट्टा संख्या 14, दिनांक 07.02.2014 जारी किया है। जिसकी शिकायत होने पर जांच कमेटी जिसमें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणकरणसर तथा नायब तहसीलदार लूणकरणसर के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर इस पट्टे को सरपंच द्वारा नियम विरूद्ध जारी किया जाना पाया है। जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूणकरणसर के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पट्टे की मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें 20 वर्ष अंकित किया है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तीन पंचों की एक कमेटी गठित की। शपथ पत्र स्वयं प्रार्थी जिस पर हस्ताक्षर नहीं है तथा दूसरा शपथ पत्र पर प्रस्तुतकर्ता का नाम, पिता का नाम निवासी तथा शपथग्रहिता का कॉलम रिक्त है, का आधा–अधूरा प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर अन्य कोई दस्तोवज साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा विनियमितीकरण स्थल पर हो प्रमाणित नहीं होता। साथ ही विनिमित किया गया क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर है जो कि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) में वर्णित अधिकतम सीमा 300 वर्गगज से अधिक होने से नियमों के विपरीत है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस मामले में तत्कालीन सरंपच व सचिव ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतया उल्लंघन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह खारिज योग्य है । लिहाजा प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, पट्टा क्रम संख्या 14, बुक संख्या 192 दिनांक 07.02.2014 निरस्त किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर